

कार्यालय जिलाधीश, गुरुग्राम।

आदेश

वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग-कम-सदस्य, हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कार्यालय के पत्र क्रमांक: DMC-SPO-2020/2474 दिनांक 13.04.2021 के द्वारा राज्य में रात्री 10:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक Corona Curfew लागू किया हुआ है। गुरुग्राम में विभिन्न संस्थानों/उद्योगिक/व्यावसायिक इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए Saralharyana portal (<https://saralharyana.gov.in>) पर Night Curfew के दौरान मुवमेन्ट के लिए प्राप्त आवेदनों पर मुवमेन्ट पास जारी किए जाने है। जिसके लिए निम्न अधिकारियों की ड्यूटी तुरन्त प्रभाव से लगाई जाती है:-

1. श्री कुलबीर ढाका, एच.सी.एस., महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, गुरुग्राम।
(Nodal Officer)
2. श्री रमेश आहूजा, उप श्रम आयुक्त-1, गुरुग्राम। (Liaison Officer)

हस्ता/—
जिलाधीश, गुरुग्राम।

पृ० क्रमांक 1171/ एम०बी० दिनांक 13.04.2021

इसकी एक प्रति निम्न अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम।
2. आयुक्त, नगर निगम, गुरुग्राम/मानेसर।
3. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुरुग्राम।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, गुरुग्राम।
5. उप-मण्डल अधिकारी (ना०), गुरुग्राम/बादशाहपुर/सोहना/पटौदी।
6. श्री कुलबीर ढाका, एच.सी.एस., महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, गुरुग्राम।
7. श्री रमेश आहूजा, उप श्रम आयुक्त-1, गुरुग्राम।
8. निजि सहायक, उपायुक्त, गुरुग्राम।

कृते: जिलाधीश, गुरुग्राम।